

316
327

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

संख्या - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007

272

दिनांक 01/4/11

विषय :- झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा -62 तथा 116 (2) तथा झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा - 4, 27, 28 एवं 29 के अधीन म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जलकर दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में।

जल संसाधन विभाग गैर-कृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराता रहा है। म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्ति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर विभागीय आदेश द्वारा जलकर दर निर्धारित की जाती रही है। म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलकर दर 01 अप्रैल 1998 से 4.50 रुपये (चार रुपये पचास पैसे) प्रति हजार गैलेन का दर निर्धारित किया गया था। यही जलकर दर बारह वर्षों के बाद भी झारखण्ड राज्य द्वारा लागू रखा गया था। फलतः जल संसाधन परियोजनाओं के संचालन एवं सम्पोषण में राजस्व संसाधन का पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण इनकी कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है।

2. देश के अन्य राज्यों (यथा महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं DVC) में लागू जलकर दरों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर महाराष्ट्र राज्य द्वारा 01 अप्रैल 2010 से विभिन्न जलश्रोतों (यथा प्राकृतिक, जलाशय तथा नहर) से औद्योगिक उपयोग हेतु तथा सतही जल का उपयोग रॉ मेटेरियल की तरह पेय (कोल्ड ड्रिंक्स, विभरीज एवं मिनरल वाटर) के रूप में किये जाने के एवज में लागू किये गये जलकर दरों को झारखण्ड राज्य में औद्योगिक (म्युनिसिपल जल सहित) इकाईयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये उपयोग हेतु अपनाते हुए 01 अप्रैल 2010 से निम्नांकित जलकर दर निर्धारित किया जाता है :

जलकर दर (रुपया प्रति हजार गैलेन में)

क्रम सं०	उपयोग	प्राकृतिक जलश्रोत (नदी, नाला, वितरण) से आपूरित जलकर दर	जलाशय से आपूरित जलकर दर	नहर से आपूरित जलकर दर
1)	औद्योगिक (म्युनिसिपल जल सहित) इकाईयों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये	9.10	26.40	65.50
2)	सतही जल का उपयोग पेयजल के रूप में (कोल्ड ड्रिंक्स, विभरीज एवं मिनरल वाटर)	45.50	131.90	327.60
3)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग; नगर निगम; नगरपालिका; अधिसूचित क्षेत्र समिति; माडा, धनबाद; माडा, हजारीबाग; पंचायती राज संस्थान एवं अन्य सरकारी संस्थान द्वारा म्युनिसिपल क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु	सभी जलश्रोतों (यथा प्राकृतिक जलश्रोत, जलाशय, नहर) से आपूरित जलकर दर		
		7.90		

3. उपरोक्त कडिका - 2 में निर्धारित की गई जलकर दरें अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।

4. मुद्रास्फीति की दरों में औसत वृद्धि के आलोक में उपरोक्त कडिका - 2 में अंकित जलकर दरों में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 से अर्थात् 01 अप्रैल 2012 से 7.5% वृद्धि कर पुनरीक्षित जलकर दर उपभोक्ताओं पर लागू की जाएगी। इसके उपरान्त आगामी वर्षों में भी जलकर की दरों में 7.5 % की वृद्धि लागू होगी।


इस आदेश पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
Banyan
01/4/11
(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 272

दिनांक 01/4/11

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखंड, वीर चंद पटेल पथ, पटना/हिन्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बी०सी०नि०म)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007

272

दिनांक 01/4/11


प्रतिलिपि - उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में), झारखंड मंत्रालय, परियोजना भवन, धुर्वा / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची / अभियंता प्रमुख-I एवं II, नेपाल हाउस, राँची / सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, राँची / चाण्डल कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर / ईचा-गालू डीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर / देवघर / मेदनीनगर / रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जगरनाथपुर हाई स्कूल बिल्डिंग, धुर्वा, राँची / अग्रिम योजना, जगरनाथपुर हाई स्कूल बिल्डिंग, धुर्वा, राँची / मुख्य अभियंता (मो०), नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / देवघर / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2, एवं 3, नेपाल हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बी०सी०नि०म)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 272

दिनांक 01/4/11


प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बी०सी०नि०म)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 272

दिनांक 01/4/11

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, डोरण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में करें और गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।


(बी०सी०नि०म)
विशेष सचिव

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धिपत्र

संख्या - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007


275

दिनांक 01/4/11

विषय :- झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा -62 तथा 116 (2) तथा झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा - 4, 27, 28 एवं 29 के अधीन म्युनिसिपल एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जलकर दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में।

अधिसूचना संख्या-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007-272, दिनांक 01.04.2011 द्वारा निर्गत अधिसूचना की कंडिका-2 का पंक्ति 6 (छह) में टकण भूलवश अंकित "01 अप्रैल 2010" के स्थान पर "01 अप्रैल 2011" पढ़ा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007

275

दिनांक 01/4/11

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखंड, वीरचंद पटेल पथ, पटना/हिन्, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007

275

दिनांक 01/4/11

प्रतिलिपि - उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में), झारखंड मंत्रालय, परियोजना भवन, धुर्वा / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची / अभियंता प्रमुख-I एवं II, नेपाल हाउस, राँची / सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, राँची / चाण्डल कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर / ईचा-गालूडीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर / देवघर / मेदनीनगर / रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जगरनाथपुर हाई स्कूल बिल्डिंग, धुर्वा, राँची / अग्रिम योजना, जगरनाथपुर हाई स्कूल बिल्डिंग, धुर्वा, राँची / मुख्य अभियंता (मो०), नेपाल हाउस, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / देवघर / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3, नेपाल हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव

०/८

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 275

दिनांक 01/4/11


प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक - 2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 275

दिनांक 01/4/11

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, डोरण्डा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में करें और गजट की 200 प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।


(बी०सी०निगम)
विशेष सचिव